



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 531 राँची, बुधवार,

14 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

25 जुलाई, 2024

संख्या-5/आरोप-1-30/2019 का.-26406 (HRMS)--श्री विजयेन्द्र कुमार, झा०प्र०से०
(कोटि क्रमांक-09/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-279 दिनांक-20.06.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- "प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान श्री विजयेन्द्र कुमार ने श्री श्यामल कुमार आयकत, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव, प्रतापपुर को सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु दिए गए अग्रिम एवं असमायोजित राशि 1074200/- के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लक्षित समूह को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। श्री कुमार के इस कृत्य से सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। श्री कुमार का यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(3) के प्रतिकूल है।"

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6425, दिनांक 09-08-2019 एवं अन्य स्मार पत्रों के द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-1661, दिनांक 01.11.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण में निम्नवत तथ्य अंकित किया गया:-

“(i). श्री श्यामल कुमार आयकत, पंचायत सचिव, प्रतापपुर के पास पेंशन की राशि 10,74,200/- रु० की वसूली हेतु उपायुक्त, चतरा के ज्ञापांक-134/सा०सू०, दिनांक-10.07.2012 के द्वारा आदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर को दिया गया था ।

(ii). श्री श्यामल कुमार आयकत, पंचायत सचिव, प्रतापपुर दिनांक-31.12.2015 को सेवानिवृत्त हुए ।

(iii). प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में प्रखण्ड कार्यालय, प्रतापपुर में, वे दिनांक-20.07.2016 से 04.05.2017 एवं पुनः दिनांक-24.06.2017 से 18.10.2019 तक पदस्थापित था ।

श्री कुमार द्वारा अंकित किया गया है कि यह मामला उनके पदस्थापन से पूर्व का था एवं उनके संज्ञान में आने पर वसूली का प्रयास करते हुए श्री श्यामल कुमार आयकत, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव, प्रतापपुर के द्वारा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु दिए गए अग्रिम राशि 10,74,200/- (वर्ष 2011-12) से कुल 3,34,410/- की वसूली करते हुए 7,39,790/- रु० बकाया वसूली हेतु उनके सेवापुस्त में दर्ज करते हुए महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को कार्यालय पत्रांक-503 दिनांक-02.08.2018 से भेजा गया ।

3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि-

“आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार द्वारा पंचायत सचिव, श्री आयकत के पास लंबित कुल अग्रिम राशि 10,74,200/- रुपये में से मात्र 3,34,410/- रुपये ही वसूली की गई है। अभी भी मो० 7,39,790/- रु० श्री आयकत के पास लंबित था। उक्त राशि के वसूली हेतु आरोपी पदाधिकारी द्वारा नीलाम पत्र वाद दायर करने का भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपी पदाधिकारी का कार्यकाल लगभग 03 वर्ष रहा है। यदि उनके द्वारा वसूली हेतु कारगर प्रयास किया जाता, तो उक्त असमायोजित राशि का समायोजन संभव था ।”

4. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरांत प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-303, दिनांक 12.01.2024 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-279, दिनांक 15.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

“यह मामला उनके पदस्थापन से पूर्व का था एवं इसकी कार्रवाई पूर्व में ही कर लेनी चाहिए थी। उनके संज्ञान में आने पर वसूली का प्रयास करते हुए श्री श्यामल कुमार आयकत, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव, प्रतापपुर के द्वारा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु दिए गए अग्रिम राशि 10,74,200/- (वर्ष 2011-12) से कुल 3,34,410/- की वसूली करते हुए 7,39,790/- रू० बकाया वसूली हेतु उनके सेवापुस्त में दर्ज करते हुए महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को कार्यालय पत्रांक- 503 दिनांक- 02.08.2018 को भेजा गया था। उनका पदस्थापन प्रखण्ड कार्यालय, चतरा में दिनांक- 18.10.2019 तक ही था। उनके पदस्थापन अवधि के दौरान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची से किसी प्रकार का कृत कार्रवाई संबंधी सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। जिसके फलस्वरूप नीलाम पत्र वाद दायर करने का कार्रवाई नहीं किया जा सका।”

5. श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये -

“आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है, बल्कि पूर्व के समर्पित स्पष्टीकरण में रखे गये तथ्यों को दुहराया गया है, जिस पर विचार कर ही उनके विरुद्ध दण्ड प्रस्तावित है। जहाँ तक नीलाम पत्र वाद दायर करने के संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदित है कि महालेखाकार से किसी प्रकार का कृत कार्रवाई संबंधी सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, जो संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है। बल्कि श्री आयकत के पास लंबित अग्रिम की वसूली उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी को संज्ञान में लाकर नीलाम पत्र वाद दायर करने का कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लगभग 03 वर्ष के कार्यकाल में उनके द्वारा मात्र 3,34,410/- रुपये ही वसूली की गई है।”

6. अतः समीक्षोपरांत, श्री विजयेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 09/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विजयेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	VIJAYENDRA KUMAR 20060400048	श्री विजयेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 09/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
